

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान साकिर बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/13/2023 दायर दिनांक 17.01.2023

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.01.2023	<p>पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आर.जे. -02-जी.बी.-7084 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना बहतूकलां से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी बहतूकलां द्वारा पत्रांक 170 दिनांक 24.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में सम्पूर्ण तकमील तफतीश पूर्णय की जा चुकी है। अतः जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। पत्रावली पूर्व से नियत दिनांक 31.01.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	

27.01/2023 - पत्रावली प्राप्त वकील शर्मा के पत्र पर तब
होकर पेश हुई वकील शर्मा द्वारा निवेदन शर्मा के सुप्रीमा
इस कदर जमानतनामा पेश किया। तस्दीक कर शामिल
पत्रावली किया गया। 540 पुलिस थाना घटबूकलां को वाद्य
सुप्रीमा हेतु भ्रष्टाचार जारी हो। पत्रावली फौजदारी श्रुतात् होकर
बाद तत्काल दाखिल रहत हो।


जिला कलक्टर
अलवर (राब0)